राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट, रूपनगढ़ (अजमेर)

वाद संख्या–11/2020 दायर दिनांकः– 12.03.2020

पीठासीन अधिकारीः–श्री भंवरलाल जनागल, आर.ए.एस.

1. सत्यनारायण पुत्र पोखरराम, जाति बलाई, निवासी पालड़ी भोपतोतान, तहसील रुपनगढ, अजमेर।

.......वादी

बनाम

1. नाथी पत्नि पोखरराम, जाति बलाई, निवासी पालड़ी भोपतोतान, तहसील रुपनगढ, अजमेर।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार रूपनगढ़, जिला अजमेर राजस्थान।

........प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 रा0का0अधि0 एवं 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

निर्णय

दिनांकः–30.03.2021

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की संयुक्त कब्जे काश्त एवं खातेदारी की कृषि भूमि वाके ग्राम पालड़ी भोपतोतान, पटवार हल्का भदूण, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भदूण तहसील रुपनगढ जिला अजमेर में स्थित है जिसके खाता संख्या नया 20 के खसरा संख्या 94 रकबा 0.4045 है0 में वादी नाबालिग कालु पुत्र पोखर सही नाम बालिग सत्यनारायण पुत्र पोखरराम का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हि0 1/2 दर्ज है। वादग्रस्त भूमि में वर्णित खाता एवं खसरा नम्बर की अराजीयात में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार वादी का हिस्सा अन्तर्निहित है। उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादी का नाम नाबालिग कालु पुत्र पोखर का इन्द्राज किया हुआ है जबकी वादी का सही एवं वास्तविक नाम सत्यनारायण पुत्र पोखरराम है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का घर परिवार में प्यार से बोलता नाम कालु पुत्र पोखर विरासत का नामान्तरण खोलते समय वादी नाबालिग था। नामान्तरण की समझ वादी को नहीं थी इसलिए सवहन से नामान्तरण दिनांक–12.02.2008 जिस समय वादी नाबालिग था। वादी के पिता पोखर पुत्र भूरा की विरासत में नाबालिग कालु पुत्र पोखर दर्ज हो गया था। उस समय वादी को जमीन के कागजात् के बारे में समझ नही थी। वादी का नाम कालु के स्थान पर सत्यनारायण का नाम इन्द्राज करवाकर इन्द्राज दुरुस्ती करवाना चाहता है। वादी के पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, विद्युत बिल, जाति प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक व विद्यालय रिकॉर्ड में सत्यनारायण पुत्र पोखरराम नाम दर्ज है। वाद ग्रस्त कृषि भूमि के खाता में वादी का नाम कालु पुत्र पोखर दर्ज होने से वादी के अलग–अलग नाम अंकित होने से वादी को किसान कार्ड बनवाने, राज्य सरकार द्वारा जारी अनुदान प्राप्त करने में एवं अपनी कृषि भूमि के विकास करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जबकि उक्त सत्यानारायण व [illegible] ही व्यक्ति है जिसके संबंध में कार्यालय ग्राम पंचायत भदूण के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र जारी कि[illegible]। वाद में वर्णित आराजी में वादी का नाम कालु पुत्र पोखर का इन्द्राज किया हुआ है [illegible] वादी का [illegible] व वास्तविक नाम सत्यनारायण पुत्र पोखरराम है एवं उक्त की खातेदारी उद्‌घोषणा [illegible] करवाक[illegible]व रिकॉर्ड में वादी का नाम कालु पुत्र पोखर के नाम को शुद्धिकरण करवाकर [illegible] का नाम सत्यनारायण [illegible]खरराम के नाम से खातेदारी उद्‌घोषणा करवाने एवं इन्द्राज दुरुस्ती करवाने के लिए यह वाद पेश किया है। वादी ने अपने

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:16 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी पर प्रधानमंत्री किसान निधि योजना की सुविधा हेतु पटवारी हल्का से जमाबंदी की नकल प्राप्त की तब वादी को जानकारी प्राप्त हुई कि वाद में वर्णित आराजी में वादी का नाम सवहन से नाबालिग कालु पुत्र पोखर गलत अंकित हो गया है। वाद कारण गलत नाम की जानकारी से शुरु होकर आज तक निरन्तर जारी है। वादी बालिग हो गया है इसलिए नाबालिग शब्द को हटाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण के सम्मन तामिलशुदा प्राप्त हुये। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 2 (तहसीलदार रुपनगढ) की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया। प्राप्त जवाब अनुसार ग्राम पालडी भोपतोतान की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2075 से स्थायी के खाता संख्या 20 में खसरा संख्या 94 रकबा 0.4045 है0 नाथी पत्नि पोखर (प्रतिवादी संख्या 01) हि01/2 जाति बलाई सा0देह खातेदार व नाबालिग कालु पुत्र पोखर संरक्षक माता नाथी हि0 1/2 जाति बलाई सा0 देह खातेदार के नाम रिकॉर्ड में दर्ज था। वाद अधीन भूमि ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खसरा नम्बर 94 रकबा 2–10 बीघा में खातेदार पोखर वल्द भूरा बलाई की विरासत जरिये नामान्तरकरण संख्या 379 स्वीकृत दिनांक–12.02.2008 से नाथी पत्नि पोखर (प्रतिवादी संख्या 01) व कालु नाबालिग पुत्र पोखर संरक्षक माता नाथी कौम बलाई सा0देह खातेदार के नाम दर्ज हुई है। वादी साक्ष्य हेतु सत्यनारायण पुत्र पोखरराम जाति बलाई निवासी पालड़ी भोपतोतान व प्रतिवादी साक्ष्य हेतु नाथी पत्नि पोखर जाति बलाई निवासी पालडी भोपतोतान की ओर से शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. के तहत पेश किये जिन पर संबंधित के बयान लिये गये।

हमने पत्रावली का अध्ययन, अवलोकन किया एवं बहस सुनी। प्रकरण में पेश किये गये साक्ष्यों के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर ग्राम पालड़ी भोपतोतान के खसरा नम्बर 94 रकबा 0.4045 है0 भूमि में नाबालिग कालु पुत्र पोखर संरक्षक सरपस्त माता नाथी हि0 1/2 के स्थान पर सत्यनारायण (बालिग)पुत्र पोखरराम जाति बलाई हि0 1/2 दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं शामिल पत्रावली किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ, अजमेर।

उपखण्ड अधिकारी
रुपनगढ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal Janagal
Date: 2021.04.05 16:33:16 IST
Reason: SelfAttested